9. सहकारिता के क्षेत्र मे:–

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने तथा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सहकारी संस्थानों के आयोजन तथा प्रोत्साहन के लिए और विशेष रूप से :–

(क) ऋण, बिक्री, उद्योग, सिंचाई और कृषि के लिए बहुद्देश्य सहकारी समितियों की स्थापना तथा प्रोत्साहन के लिए; और

(ख) बचत, लघु बचत और बीमा स्कीमों के माध्यम से बचत को प्रोत्साहन ।

10. महिला कल्याण के क्षेत्र में :–

महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन और महिला तथा बाल कल्याण केन्द्रों, शिक्षा केन्द्रों, कला केन्द्रों तथा सिलाई–कढ़ाई केन्द्रों का अनुरक्षण ।

11. समाज कल्याण के क्षेत्र में :–

(क) ग्रामीण आश्रय की स्कीमों का क्रियान्वयन;

(ख) बदहाल भिखारियों की देख रेख;

(ग) समाज कल्याण के स्वैच्छिक सस्थानों को प्रायोजित करना और उनकी गतिविधियों का समन्वय तथा सहायता;

(घ) नशे की लत के खिलाफ प्रचार तथा प्रतिबन्ध लगाना ।

12. राहत के क्षेत्र में:–

छोटे तथा बढ़े स्तर के बाढ़, अग्नि दुर्घटना, महामारी तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं में तुरन्त राहत प्रदान करना ।

13. सांख्यिकीय संकलन के क्षेत्र में :–

ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सांख्यिकीय का संकलन तथा समन्वयन ।

14. ट्रस्ट के क्षेत्र में :–

द्वीप परिषद निधि से चलाए जाने वाले किसी भी कार्यक्रमों के लिए ट्रस्ट का प्रबन्धन ।